अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 04.08.2014 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

- **उपस्थिति :-**
  1. श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
  2. श्री श्यामानन्द झा, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर।
  3. श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
  4. डॉ0 ईश्वरचन्द्र शर्मा, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
  5. श्री रवीन्द्र नाथ, प्रभारी पदाधिकारी,बन्दोबस्त, मुंगेर।
  6. श्री जैनेन्द्र कुमार, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर।
  7. अमजद अली, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
  8. नजीर अहमद, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
  9. श्री प्रमोद कुमार, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर।
  10. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, मुंगेर।
  11. श्री विजय कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  12. श्रीमती प्रतिभा कुमारी, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  13. श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  14. श्री अशीष कुमार बरियार, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  15. श्री अनिल कुमार राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
  16. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
  17. श्री कुन्दन कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, MDM, मुंगेर।
  18. श्री देवेन्द्र कुमार झा, जिला कार्यक्रम पदा0, सर्वशिक्षा अभियान, मुंगेर।
  19. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर
  20. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
  21. श्री आर0पी0 भारती, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर।
  22. श्री चन्द्र किशोर वैद्य, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
  23. मु0 खिलाफत अंसारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
  24. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।
- **अवकाश/अन्य विशेष कार्य अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पदाधिकारी :-**
  1. श्री प्रभात कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
  2. श्री बी0बी0 तिवारी, जिला जनशिकायत पदाधिकारी, मुंगेर।
  3. श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर।

बैठक के प्रारंभ में उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के अनाधिकृत अनुपस्थिति के साथ-साथ विगत साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में प्रदत्त निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के सभी बिन्दुओं को शामिल करते हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से स्पष्टीकरण पूछते हुए स्पष्टीकरण निष्पादन होने तक वेतन स्थगित रखने का निदेश विशेष कार्य पदाधिकारी, मुंगेर को दिया गया।

इसके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी, जो अनाधिकृत अनुपस्थित हैं, से भी अधोहस्ताक्षरी के स्तर से स्पष्टीकरण पूछते हुए स्पष्टीकरण निष्पादन होने तक वेतन स्थगित रखने का निदेश विशेष कार्य पदाधिकारी, मुंगेर को दिया गया।

विदित हो कि वर्तमान में 01 अगस्त, 2014 से 11 अगस्त, 2014 तक मुंगेर जिलान्तर्गत प्रत्येक प्रखंडों के दो-दो पंचायतों का चयन कर रोस्टर के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण किया जा रहा है, परन्तु अधिकांश वरीय पदाधिकारी (Mentor) द्वारा अपने आवंटित प्रखंडों में वितरण स्थल का निरीक्षण नहीं किया जाना, अत्यन्त ही शोचनीय है। उपरोक्त के दृष्टिगत् वरीय पदाधिकारी (Mentor) को निदेश दिया गया कि सप्ताह में कम-से-कम दो वितरण दिवसों में शिविर के माध्यम से वितरण किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्थलीय निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

RTPS :-

लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में उत्तरोत्तर वृद्धि सुनिश्चितता हेतु आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को निदेश दिया गया पूर्व प्रदत्त निदेशानुसार जिन प्रखंड विकास पदाधिकारियों/ अंचलाधिकारियों अथवा वरीय पदाधिकारी (Mentor) द्वारा RTPS काउण्टर का विहित प्रपत्रानुसार निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे पदाधिकारियों से अधोहस्ताक्षरी के स्तर से उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण पूछेंगे तथा प्रतिदिन समीक्षा कर प्रत्येक संध्या अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे।

इसके अतिरिक्त RTPS कार्य को प्राथमिक कार्य योजना में शामिल करते हुए कार्य में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिए गए :-

1. सभी प्रखंड-सह-अंचल के वरीय पदाधिकारी (Mentor) उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्रानुसार RTPS काउण्टर का साप्ताहिक निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को निरीक्षण दिवस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विभाग के पोर्टल पर उसे यथासमय अपलोड कराया जा सके।
2. वरीय पदाधिकारी (Mentor) लोक सेवा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवा अवधि के पार Expire/Reject किए गए आवेदनों की सूक्ष्मतापूर्वक जाँच अवश्य करेंगे।
3. प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी (Mentor) RTPS काउण्टरों के आस-पास दलाली व्यवस्था पूर्णरूपेण बंद करने हेतु कार्यालय खुलने के समय तथा बंद होने के पूर्व औचक निरीक्षण कर दलालों को पकड़कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

विधि शाखा :-

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर द्वारा बैठक में समर्पित प्रतिवेदनानुसार विभिन्न पदाधिकारियों के स्तर से वादों के लंबित रहने की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0	विभागीय पदाधिकारी का पदनाम	लंबित MJC	लंबित CWJC	लंबित LPA
1	जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर	6	19	3
2	सिविल सर्जन, मुंगेर	4	19	0
3	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS	2	13	0
4	कार्य0 पदा0, नगर परिषद, जमालपुर	2	0	0
5	अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर	2	11	1
6	पुलिस अधीक्षक, मुंगेर	2	10	0
7	उप विकास आयुक्त, मुंगेर	1	18	1
8	जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर	1	4	0
9	नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर	1	2	0
10	निदेशक, एन0आर0ई0पी0, मुंगेर	1	0	0
11	श्रम अधीक्षक, मुंगेर	1	0	0
12	अंचल अधिकारी, संग्रामपुर	1	0	0
13	अपर समाहर्त्ता, मुंगेर	0	0	1
14	जिला पंचायत राज पदा0, मुंगेर	0	11	0
15	स्थापना उपसमाहर्त्ता, मुंगेर	0	7	0
16	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर	0	10	0
17	अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर	0	4	0
	कुल	**24**	अन्य 28 **कुल 156**	अन्य 02 **कुल 08**

समीक्षा अवधि में प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर द्वारा बताया गया कि MJC एवं CWJC के सर्वाधिक मामले क्रमशः जिला शिक्षा पदाधिकारी-6 एवं 19, सिविल सर्जन, मुंगेर-4 एवं 19 वाद लंबित है। इसी दरम्यान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मुंगेर द्वारा बताया गया कि एम0जे0सी0 के 3 वाद लंबित है। इस प्रकार की स्थिति विगत कई साप्ताहिक बैठकों में परिलक्षित होने पर बारम्बार जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अपनी सुविधानुसार जिला विधि शाखा में स्वयं जाकर प्रतिवेदन में हो रहे अन्तर के समाधान हेतु वादों का मिलान कर लिया जाए, परन्तु उनके द्वारा प्रदत्त निदेश का अनुपालन न कर बैठक में मात्र कार्य पूर्ण कर लिए जाने का आश्वासन दिया जाता रहा है। यह प्रवृत्ति कर्त्तव्य निर्वहनता में लापरवाही तथा उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को अंतिम रूप से चेतावनी दिया जाता है कि यदि आगामी बैठक में प्रतिवेदन में अन्तर के तथ्य पर संबंधित पदाधिकारियों द्वारा आपसी परिचर्चा की जाएगी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के उपरोक्त कृत्य के विरूद्ध विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर लंबित न्यायालयी वादों के निष्पादन की गति में तेजी लाते हुए प्रतिवेदन शून्य करना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार द्वितीय सर्वाधिक लंबित न्यायालयी वादों की श्रेणी में सिविल सर्जन, मुंगेर के स्तर से 19 CWJC अभी भी लंबित है, जिसके अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन आगामी सप्ताह के पूर्व प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, मुंगेर को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

साथ ही साथ विभिन्न मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त हो रहे नए वादों को भी लंबित सूची में सूचीबद्ध करते हुए दिए गए निदेश का अनुपालन प्राथमिक कार्य योजना में शामिल करते हुए सुनिश्चित कराएँगे।

जिला जन शिकायत कोषांग :-

जिला जनशिकायत पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा दिनांक 04.08.14 को समर्पित प्रतिवेदनानुसार मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव अथवा मुख्यमंत्री जन शिकायत कोषांग तथा जिला जनता दरबार के लंबित आवेदनों की पदाधिकारीवार स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0	पदाधिकारी/विभाग का नाम	मुख्यमंत्री सचिवालय			जिला जनता दरबार		
		भेजे गये आवेदन	निष्पादित आवेदन	लंबित	भेजे गये आवेदन	निष्पादित आवेदन	लंबित
1	नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर	27	19	8	723	330	393
2	अपर समाहर्त्ता, मुंगेर	68	61	7	189	110	79
3	उप विकास आयुक्त, मुंगेर	25	10	15	486	493	293
4	सिविल सर्जन, मुंगेर	65	47	18	480	214	266
5	जिला स्थापना शाखा	13	12	01	171	96	75
6	जिला विधि शाखा	4	1	3	71	30	41
7	जिला सामान्य शाखा	6	1	5	144	75	69
8	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर	17	6	11	164	58	106
9	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर	10	9	01	225	105	120
10	जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर	59	35	24	586	114	472
11	जिला आपदा प्रबंधन, मुंगेर	11	7	4	127	44	83
12	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर	17	10	7	486	208	278
13	जिला खनन पदाधिकारी, मुंगेर	4	2	2	21	9	12
14	उप निर्वाचन पदाधिकारी	2	1	1	41	27	14
15	जिला भू-अर्जन	0	0	0	39	18	21
16	जिला शस्त्र शाखा	2	1	1	70	45	25
17	जिला प्रोग्राम ICDS	6	1	5	498	224	274
18	जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर	8	0	8	58	11	47
19	प्रभारी पदा0, MDM	0	0	0	17	4	13
20	महादलित कल्याण पदाधिकारी	2	1	1	3	0	3
21	जिला जनसंपर्क पदाधिकारी	1	0	1	1	0	1
	कुल	**337**	**215**	**122**	**4600**	**1915**	**2685**

बैठक में उपस्थापित प्रतिवेदनानुसार यह ज्ञात हुआ कि कई कार्यालयों, जहाँ काफी कम संख्या में मुख्यमंत्री सचिवालय से आवेदन प्राप्त हुए हैं, का भी निष्पादन विगत कई सप्ताहों से नहीं किया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि कम संख्या होने की वजह से प्रभारी पदाधिकारी द्वारा विशेष अभिरूचि नहीं ली जा रही है। अतः संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए आगामी सप्ताह के पूर्व निश्चित रूप से निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त आवेदनों में से सर्वाधिक लंबित आवेदन, क्रमशः जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के 24, सिविल सर्जन, मुंगेर के 18, उप विकास आयुक्त, मुंगेर के 15, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के 11 हैं, जो पूर्व प्रतिवेदनानुसार यथावत् है, अर्थात् उक्त पदाधिकारियों द्वारा गत सप्ताह में एक भी आवेदन का निष्पादन नहीं किया गया है, जो चिंताजनक है। समेकित रूप से गणनोपरान्त उपरोक्त पदाधिकारियों के स्तर से कुल लंबित 122 आवेदनों के विरूद्ध 55.74% होता है। उपरोक्त पदाधिकारियों के स्तर से मुख्यमंत्री सचिवालय से संबंधित आवेदनों की इतनी अधिक संख्या में लंबित रहना उचित नहीं है तथा उक्त आवेदनों का निष्पादन किए जाने से लंबित पत्रों की प्रतिशत में ह्रास होगा। अतः निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारी विशेष अभिरूचि लेकर लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित कराएँ।

मानवाधिकार :-

समीक्षा के दौरान सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानवाधिकार आयोग से प्राप्त होने वाले पत्रों को प्राथमिकता देते हुए साप्ताहिक कार्य योजना में शामिल करते हुए नियमित रूप से समीक्षा करते हुए निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे।

लोकायुक्त :-

समीक्षा के दौरान प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, मुंगेर द्वारा बताया गया कि लोकायुक्त के सर्वाधिक लंबित मामले अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के स्तर से हैं। इस निमित्त प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सुविधानुसार गत सप्ताह के किसी दिवस को एक संक्षिप्त बैठक आयोजित अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर को संबंधित सभी संचिकाओं के साथ भाग लेने हेतु निदेशित करेंगे, ताकि मामलों का निष्पादन तीव्रगामी किया जा सके।

प्रखंड/अंचल का निरीक्षण :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत सप्ताह में जमालपुर एवं टेटियाबम्बर प्रखंड के वरीय पदाधिकारी (Mentor) द्वारा प्रखंड एवं अंचल को छोड़कर किसी भी वरीय पदाधिकारी (Mentor) द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण नहीं किया गया है, जो खेदजनक है। निदेश दिया गया कि सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सप्ताह में कम-से-कम एक बार अपने प्रभार के प्रखंड/अंचल के कार्यो, सुविधानुसार प्रति सप्ताह प्रखंड/अंचल में कार्यान्वित किसी एक योजना, की समीक्षा कर निरीक्षण टिप्पणी साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँगे। यदि निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो फिर किए गए निरीक्षण का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है।

साप्ताहिक समीक्षा हेतु विहित प्रपत्रानुसार प्रतिवेदन :-

विभाग/कार्यालय का नाम	पत्रों का निष्पादन		जनशिकायत		वि0सभा0/परि0 प्रश्नावली		मानवाधिकार/ लोकायुक्त		CWJC/MJC/LPA		सेवान्त लाभ	
	कुल प्राप्त पत्र	लंबित पत्र	कुल प्राप्त पत्र	लंबित पत्र	कुल प्राप्त पत्र	लंबित पत्र	कुल प्राप्त पत्र	लंबित पत्र	कुल प्राप्त पत्र	लंबित पत्र	कुल प्राप्त पत्र	लंबित पत्र
जिला भू-अर्जन	22	15	19	17	0	0	0	0	2	2	2	2
जिला सामान्य	201	146	5	4	5	4	24/29	24/29	1	1	0	0
जिला खास महाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जिला नजारत	34	26	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
बंदोवस्त	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
जिला योजना	21	11	56	55	0	0	0	0	0	0	0	0
जिला राजस्व	24	4	8	7	1	0	2	2	2	2	0	0
जिला प्रोग्राम	0	024	24	10	10	0	0	26	26	0	0	0
आपदा प्रबंधन	33	23	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
अल्पसंख्यक कल्याण	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नीलाम पत्र	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सामाजिक सुरक्षा	44	39	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित कार्यालय/शाखा से सप्ताहान्त प्रतिवेदन अप्राप्त है :- DRDA/जिला पंचायत राज/विधि/आपूर्त्ति/शस्त्र/निर्वाचन/स्थापना/कल्याण/बैंकिंग/शिक्षा/स्वास्थ्य/विभागीय जाँच/माल सेस/खनन/राज्य खाद्य निगम/सैनिक कल्याण/मध्याह्न भोजन योजना। उपरोक्त के आलोक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व (यथासंभव शनिवार की संध्या तक) विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी के गोपनीय शाखा, में उपलब्ध कराया जाए, ताकि संकलित प्रतिवेदन के आधार पर विस्तृत समीक्षा किया जा सके।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक-20-07/14-2204/गो0, मुंगेर, दिनांक 06/08/2014

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/जिला जनशिकायत पदाधिकारी, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त, मुंगेर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मुंगेर/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 5.8.14

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।